भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4476

27 मार्च, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

एसबीएम-यू 2.0 के अंतर्गत प्रयुक्त जल का प्रबंधन और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र

†4476. श्री बी. के. पार्थसारथीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) 2.0 के अंतर्गत अनुमोदित और स्थापित प्रयुक्त जल प्रबंधन संयंत्रों और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्रों की संख्या का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) ऐसे संयंत्रों की स्थापना के लिए संस्वीकृत और संवितरित निधि का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) और (ख): स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के तहत की गई प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए, 1 अक्टूबर, 2021 को स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य सुरक्षित स्वच्छता प्राप्त करना, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) के सभी प्रकार के अंशों का वैज्ञानिक प्रबंधन और पुराने अपशिष्ट कचरा स्थलों का समाधान करना है। 2011 की जनगणना के अनुसार 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में मल कीचड़ और सेप्टेज से पूर्ण रूप से निपटान के लिए एसबीएम-यू 2.0 के तहत प्रयुक्त जल प्रबंधन (यूडब्ल्यूएम) भी एक नया घटक है।

एसबीएम-यू के तहत निधियों का आवंटन संपूर्ण मिशन अवधि के लिए किया जाता है, न कि वार्षिक आधार पर। इसके अलावा, राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित पूर्ण प्रस्तावों के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई मांग के आधार पर एसबीएम-यू के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों का केंद्रीय हिस्सा जारी किया जाता है, जिन्हें संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा उनकी कार्ययोजना के अनुसार यूएलबी को

दिया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन – शहरी (एसबीएम-यू) के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्रों और प्रयुक्त जल प्रबंधन संयंत्रों की स्थापना के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एसएचपीसी) द्वारा अनुमोदित परियोजना लागत को अधिकतम 30% की शर्त पर पूरक वित्तपोषण का 50% तक की ही केंद्रीय सहायता/ सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है।

एसबीएम-यू 2.0 के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) घटक के अंतर्गत, सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएं (एमआरएफ), स्थानांतरण स्टेशन, खाद संयंत्र, निर्माण और विध्वंस (सीएंडडी) और अपशिष्ट से बिजली, जैव-मीथेनेशन संयंत्र सहित अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र आदि जैसी अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं देने के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है। अब तक, 7766 ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएं दी जा चुकी हैं। इसके अलावा, भारत सरकार ने एसबीएम-यू 2.0 के एसडब्ल्यूएम घटक के तहत 10,930.12 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। जिसमें से 8,662.28 करोड़ रुपये की केंद्रीय हिस्सेदारी वाली परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 1999.96 करोड़ रुपये का दावा किया गया है।

यूडब्ल्यूएम घटक के तहत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी)/एसटीपी-सह-फेकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (एफएसटीपी) लगाने; पंपिंग स्टेशन और एसटीपी तक पंपिंग मेन/ग्रेविटी मेन उपलब्ध कराने के साथ-साथ इंटरसेप्शन और डायवर्सन (एलएंडडी) संरचनाओं को बिछाने, पर्याप्त संख्या में सेप्टिक टैंक डीस्लजिंग उपकरण आदि खरीदने के लिए सीएफए दी जाती है। अब तक, 2086 प्रयुक्त जल अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएं दी जा चुकी हैं। भारत सरकार ने एसबीएम-यू 2.0 के एसडब्लूएम घटक के तहत 15,926.55 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। जिसमें से 13,559.36 करोड़ रुपये की केंद्रीय हिस्सेदारी वाली परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 3131.99 करोड़ रुपये का दावा किया गया है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एसबीएम-यू के अंतर्गत सभी परियोजनाओं का ब्यौरा एसबीएम-यू, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के पोर्टल https://sbmurban.org/swachh-bharat-mission-progess पर उपलब्ध है।

*****